"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] रायपुर, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई 2005 — श्रावण 8, शक 1927

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

जी. ई. रोड, सिविल लाईन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 जुलाई 2005

क्र. 9/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2005 — विद्युत अधिनियिम 2003 की धारा 39(2)(डी), 40(सी), 42(2,3), 86(1)(सी) सहपठित धारा 181 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत के मुक्त उपयोग संबंधी निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ**

   (1) ये विनियम **छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम 2005** कहलायेंगें।

   (2) ये विनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **प्रयोज्यता की सीमा**

   ये विनियम, मुक्त उपयोग ग्राहकों (Open Access Customers)को राज्यांतरिक पारेषण तंत्र और/ या वितरण तंत्र के उपयोग जिसमें ऐसे तंत्र का उपयोग, अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र से संयोजन हेतु किया जाना सम्मिलित है, के लिये लागू होंगे।

3. परिभाषाऐं

(1) जब तक, संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में :—

'अधिनियम' अर्थात विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 क्र. 36) है;

'आबंटित पारेषण क्षमता' अर्थात् वह विद्युत (मेगावाट में) जो किसी दीर्घावधिक ग्राहक को सामान्य परिस्थितियों में, राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र के अन्तःक्षेपण और आहरण हेतु विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के मध्य स्थानान्तरण हेतु स्वीकृत हो। अभिव्यक्ति आवंटन की व्याख्या भी तदनुसार होगी।

'संतुलन और व्यपस्थापन संहिता' अर्थात् ऐसी संहिता, जो राज्य में ग्रिड का उपयोग करने वालों के मध्य, ऊर्जा/मांग लेखाओं के संतुलन और अधिसूचित तथा वास्तविक ऊर्जा/मांग के अंतरों के व्यवस्थापन हेतु, आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

'मंडल' या 'छ.ग.रा.वि.मं.' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल है।

'आयोग' अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग है।

'भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता' (आई.ई.जी.सी.) अर्थात् अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के खण्ड (एच.) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता।

'छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता' अर्थात् अधिनियिम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (एच.) के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता।

'प्रत्यक्ष ग्राहक' अर्थात् ऐसा व्यक्ति, जो राज्य पारेषण यूटिलिटि/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी एवं/अथवा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा धारित अथवा संभारित तंत्र से सीधे संयोजित हो;

'अवलम्बित ग्राहक' अर्थात् ऐसा व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष ग्राहक न हो;

'मुक्त उपयोग ग्राहक' से तात्पर्य ऐसा ग्राहक से है जिसे उसके क्षेत्र में विद्युत प्रदाय हेतु अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से अथवा किसी उत्पादन कंपनी (कैप्टिव उत्पादन संयंत्र सहित) अथावा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से, जिसने मुक्त उपयोग या तो प्राप्त किया हो या प्राप्त करने का इरादा रखता हो।

'अन्तःक्षेपण का बिन्दु' अर्थात् कोई संयोजन, जिसमें विद्युत पारेषण नेटवर्क या वितरण नेटवर्क में , जैसी भी स्थिति हो, विद्युत प्रवाहित की जाये;

'आहरण का बिन्दु' अर्थात् कोई संयोजन जिससे पारेषण नेटवर्क या वितरण नेटवर्क जैसी भी स्थिति हो, से विद्युत आहरित की जायें;

'आरक्षित पारेषण क्षमता' अर्थात् ऐसा विद्युत स्थानांतरण (मेगावाट में), जो किसी अल्पावधिक ग्राहक को, पारेषण क्षमता की उपलब्धता के आधार पर, पारेषण तंत्र के, अंतःक्षेपण एवं आहरण हेतु विनिर्दिष्ट बिन्दुओं के मध्य स्वीकृत हो। अभिज्याकित 'पारेषण क्षमता का आरक्षण' का तात्पर्य तदनुसार होगा;

'एस.एल.डी.सी.' अर्थात् अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राज्य भार प्रेषण केन्द्र जो वर्तमान में भिलाई में स्थित है तथा राज्य में पारेषण तंत्र संचालन का प्रबंधन और उत्पादन तथा भार आवश्यकताओं के मध्य राज्य में समन्वय का कार्य करता है;

'राज्य' अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य है; एवं

'एस.टी.यू.' अर्थात अभिनियम की धारा 172 के अनुरुप 'राज्य पारेषण यूटिलिटी,, जो वर्तमान में छ.ग.रा.वि.मं. है।

(2) इसमें प्रयुक्त अन्य सभी अभिव्यक्तियाँ, जो परिभाषित नही की गई है, परंतु अधिनियम में परिभाषित है, उनका अर्थ वही होगा जैसा अधिनियम में है। ऐसी अन्य प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ, जो इन विनियमों में और अधिनियम में अपरिभ ाषित हैं, परंतु संसद द्वारा पारित राज्य के विद्युत उद्योंगों को लागू होने वाली किसी अन्य विधि में अथवा छ.ग.रा.वि.नि.आ. (कार्य संचालन) विनियम 2004 में परिभाषित है, उसका अर्थ वही होगा, जैसा कि उस अधिनियम या विनियम में है। उपरोक्त के अधीन यहाँ प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अर्थ सामान्यतः वही होगा, जैसा कि विद्युत प्रदाय उद्योग में प्रचलित है।

4. मुक्त उपयोग हेतु अहर्ता

(1) इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, 'मुक्त उपयोग ग्राहक' एस .टी.यू. या किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के राज्यान्तर्गत पारेषण तंत्र और छ .ग.रा.वि.मं. के या किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी के, राज्यान्तर्गत वितरण तंत्र में मुक्त उपयोग हेतु पात्र होंगे।

(2) ऐसा उपयोग, किसी मुक्त उपयोग ग्राहक को, आयोग द्वारा विनियमो के अनुसार निर्धारित किये जाने वाले प्रभारों के भुगतान की दशा में, उपयोग हेतु प्राप्त होगा।

(3) ऐसा व्यक्ति, जो शोधक्षम या दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा जिस पर, किसी पारेषण या वितरण अनुज्ञप्तिधारी के तीन या उससे अधिक माह का बिल का भुगतान बकाया हो, मुक्त उपयोग हेतु पात्र नही होगा।

5. मुक्त उपयोग के चरण

(1) संचालनीय बाध्यताओं और अन्य सुसं गत तथ्यों के अधीन मुक्त उपयोग निम्नलिखित चरणों में, निम्न समय सारिणी के अनुसार स्वीकृत किया जायेगाः–

चरण	मुक्त उपयोग के अधीन विद्युत पारेषण एवं व्हीलिंग हेतु अनुबंधित उपयोगकर्ता	वह दिनांक, जिससे मुक्त उपयोग दिया जाना प्रस्तावित है
I	10 मेगावाट अथवा उससे अधिक की आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता	1 अप्रेल 2006
II	5 मेगावाट या अधिक आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता	1 अप्रेल 2007

III	2 मेगावाट या अधिक आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता	1 अक्टूबर 2007
IV	1 मेगावाट या अधिक आवश्यकता वाले उपयोगकर्ता	1 अप्रेल 2008

परंतु, अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादकों ओर उपयोगकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से 33 के . व्ही. या अधिक बोल्टेज स्तर पर 1 मेगावाट या उससे अधिक आवश्यकता हेतु मुक्त उपयोग सुविधा उपलब्ध की जा सकेगी।

इसी तरह केपटिव उत्पादन संयत्र द्वारा एक मे .वा. या उससे अधिक आवश्यकता हेतु अपने केपटिव उत्पाद न संयत्र से उसके प्रयोग के गंतव्य तक विद्युत ले जाने के प्रयोजन हेतु मुक्त उपयोग की सुविधा तत्काल प्रभाव से उपलब्ध की जा सकेगी।

(2) चरण (I) के मुक्त उपयोग के प्रारंभ एवं संचालन के अनुभव के आधार पर आयोग, बाद के चरणों के लिये निर्धारित समय सारिणी को पु नरीक्षित कर सकेगा।

6. विद्यमान उपयोगकर्ताओं के लिए प्रावधान

(1) वे व्यक्ति, जो विद्यमान अनुबंध/संविदा के अधीन, इन विनियमों के प्रवर्तन दिनांक को राज्य में, राज्यान्तर्गत पारेषण तंत्र अथवा वितरण तंत्र का उपवेग उपयोग हेतु कर रहे हें, वे विद्यमान अनुबंध/संविदा की अव धि तक, पारेषण और वितरण तंत्र में उपयोग प्राप्त करते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति, विद्यमान अनुबंध/संविदा की समाप्ति पर इन विनियमों कें अधीन दीर्घावधिक राज्यांतरिक मुक्त उपयोग प्राप्त करने के पात्र होंगे। उन्हें ऐसे अनुबंध/संविदा की समाप्ति के कम से कम 3 दिन पूर्व, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग श्रेणी में आने हेतु आवेदन करना होगा।

(2) इन विनियमों के लागू होने पर उनके अनुसरण में वितरण कंपनियों के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वर्तमान तथा भावी ग्राहकों के विद्युत मांग की पूर्ति के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क में मुक त उपयोग प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें। ऐसे मामलों में विनियम क्र . 5 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

7. मुक्त उपयोग ग्राहकों का वर्गीकरण

(1) मुक्त उपयोग ग्राहकों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जावेगाः—

(ए) दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकः— वह मुक्त उपयोग ग्राहक, जो पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए मुक्त उपयोग प्राप्त करता है, वह दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक होगा।

(बी) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकः— वह मुक्त उपयोग ग्राहक, जो एक वर्ष या उससे कम की बवधि के लिए मुक्त उपयोग प्राप्त करता है, वह अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक होगा।

(2) अल्पावधिक ग्राहक, अपने अनुबंध की समाप्ति के पश्चात, मुक्त उपयोग के नवीनीकरण हेतु पात्र होगा। ऐसे नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन नये आवेदन की तरह माना जायेगा।

(3) नोडल एजेन्सी

(i) दीर्घावधिक पारेषण एवं उपयोग के व्यवस्थापन हेतु नोडल एजेन्सी, राज्य पारेषण यूटिलिटि होगा, यदि इसके तंत्र का उपयोग किया जाये अन्यथा नोडल एजेन्सी, वह पारेषण अनुाप्तिधारी होगा, जिसके तंत्र में आहरण बिन्दु होगा।

(ii) अल्पावधिक पारेषण और/ या वितरण उपयोग हेतु नोडल एजेन्सी, राज्य भार प्रेषण केन्द्र होगा।

8. आबंटन में प्राथमिकता

(1) किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी को दीघ्रावधिक अथवा अल्पावधिक मुक्त उपयोग क्षमता आवंटन में सर्वोपरि प्राथमिकता दी जायेगी।

(2) किसी दीर्धावधिक ग्राहक की आबंटन प्राथमिकता किसी अल्पावधिक ग्राहक से उच्चतर होगी।

(3) संबंधित वर्ग में वर्तमान मुक्त उपयोग ग्राहक को नये ग्राहकों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) उपरोक्त खण्डों के अध्याधीन मुक्त उपयोग स्वीकार करने का निर्णय 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धांत अथवा बोली के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, आधारित होगा।

9. मुक्त उपयोग की अनुमति हेतु मानदण्ड

(1) अंतर संयोजन का वोल्टेज, छततीसगढ़ विद्युत प्रदाय संहिता 2005 के अनुसार होगा।

(2) दीर्घावधिक उपयोग, छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता में उपबंधित पारेषण नियोजन मापदण्डों और छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण संहिता में उपबंधित वितरण नियोजन क्षमता के अनुरूप, जैसा कि आयोग द्वारा बनाया जावे, स्वीकार किया जायेगा।

(3) अल्पावधिक उपयोग तभी स्वीकार किया जायेगा, यदि आवेदन, निम्नलिखित का उपयोग करते हुए समायोजित किया जा सकेः–

(i). तंत्र की डिजाइन में आंतरिक गुंजाइश।

(ii). विद्युत प्रवाह में उतार चढ़ाव के कारण उपलब्ध अंतर।

(iii). पारेषण और/या वितरण तंत्र में भावी भार वर्धन प्रबंध हेतु तैयार की गइ अंतर्निर्मित अतिरिक्त क्षमता के कारण गुंजाइश।

10. मुक्त उपयोग हतु उपलब्ध क्षमता की गणना

(1) राज्यान्तरिक मुक्त उपयोग हेतु उपलब्ध क्षमता की गणना, प्रत्येक पारेषण मार्ग तथ ाा प्रत्येक उपकेन्द्र के लिए एस.टी.यू. द्वारा निम्नलिखित पद्धति से की जायेगी :–

(ए) पारेषण तंत्र के किसी खण्ड के लिए उपलब्ध मुक्त उपयोग क्षमता = (डी. सी.–एस.डी.–ए.सी.)+एन.सी.

जहाँः– डी.सी. = पारेषण खण्ड की मेगावॉट में विनिर्दिष्ट क्षमता,

एस.डी.= उक्त खण्ड में अभिलेखित जारी मांग (मेगावॉट में),

ए.सी.= पहले से ही आवंटित क्षमता, जो प्राप्त न की गई हो,

एन.सी.= बढ़ाने हेतु मेगावॉट में अनुमानित क्षमता हैए प्रणाली सुधार या क्षमता बढ़ाना।

(बी) किसी उपकेन्द्र की उपलब्ध मुक्त अभिगन क्षमता= टी.सी.–एस.पी.–ए.सी., जहां टीसी उपकेन्द्र के परिवर्तक (ट्रांसफर्मर) की क्षमता (एम.व्ही.ए.में);

एस.पी. =एम.व्ही.ए. में उपकेन्द्र की चरम सीमा;

ए.सी.=एम.व्ही.ए. में पहले से ही आवंटित क्षमता, जो उपयोग न की गई हो।

एस.टी.यू. उपरोक्त (ए) तथा (बी) में दिये गये मूल्यों (मानों) को मासिक आधार पर प्रत्येक कैलेण्डर माह की पहली तारीख को अद्यतन करते हुए उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

(2) संबंधित वितरण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण तंत्र के उस हिस्से की, जिसमें से मुक्त उपयोग चाही गई हो, उपलब्ध क्षमता का निर्धारण करेगा।

11. मुक्त उपयोग हेतु प्रभार

मुक्त उपयोग उपलब्ध कराने वाला अनुज्ञप्तिधारी केवल ऐसे शुल्क व प्रभार ही ले सकेगा, जैसा कि आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये। प्रभारों के निर्धारण के सिद्धांत निम्नानुसार होंगेः–

(1) **पारेषण प्रभारः–** एस.टी.यू. / पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के पारेषण तंत्र का उपयोग राज्यान्तरिक पारेषण हेतु किये जाने पर पारेषण प्रभार निम्नानुयार विनियमित होगाः–

(ए) किसी दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु देय पारेषण प्रभार,, आयोग द्वारा यथा निर्धारित टैरिफ आदेश के अनुसार होंगे। ये प्रभार दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों द्वारा आनुपातिक रूप से वहन किये जायेंगे।

(बी) किसी अल्पावधिक ग्राहक द्वारा राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र के उपयोग हेतु देय पारेषण प्रभारों की गणना निम्नलिखित सूत्र के अनुसार की जायेगीः–

एस.टी. दर= 0.25 X(टी.एस.सी. / ए.व्ही., सी.ए.पी) / 365

जहाँ – एस.टी. दर = अल्पावधिक ग्राहकों के लिए रूपये प्रति मेगावॉट/प्रतिदिन की दर, टी.एस.सी. से तात्पर्य उस वार्षिक पारेषण प्रभारों अथवा वार्षिक राजस्व आवश्यकता से है, जो, पूर्व वर्ती वित्तीय वर्ष के लिए आयोग ने निर्धारित किये हों।

'ए.व्ही.सी.ए.पी.' अर्थात M.W. में वह औसत क्षमता, जो पारेषण अनुज्ञप्तितिधारी के राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र द्वारा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्रदान की गई हो और पारेषण तंत्र से संयोजित उत्पादन क्षमताओं एवं पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के तंत्र द्वारा संचालित अन्य दीर्घावधिक कार्यों की अनुबंधित क्षमताओं का योग होगी।

(i) पारेषण गलियारे घने न होने की दशा में, किसी अल्पावधिक ग्राहक द्वारा देय पारेषण प्रभार किसी एक संवर्ग में 24 घंटे तक या एक दिन में उसके किसी भाग के लिए उद्‌गृहीत किये जायेंगे, जो एस .टी. दर के बराबर होंगे।

(ii) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से इस प्रकार अर्जित आमदनी का 20 %, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों के पारेषण प्रभार घटाने हेतु उपयोग में लाया जायेगा। शेष 75 %, आमदनी एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधोसंरचना के विकास हेतु पूजीगत व्यय के लिये रखी जायेगी। एस .टी.यू. /पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, अल्पावधिक ग्राहकों से प्राप्त आमदनी हेतु पृथक खाता बनाये रखेगा और अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप किसी पूंजीगत निर्माण हेतु व्यय के पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(2) **व्हीलिंग प्रभारः–** किसी अनुज्ञप्तिधारी के वितरण तंत्र के उप योग के लिये व्हीलिंग प्रभार निम्नानुसार विनियमित होगाः–

(ए) किसी दीर्घावधिक ग्राहक द्वारा वितरण तंत्र के उपयोग हेतु देय व्हीलिंग प्रभार, आयोग द्वारा, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा–61 के अधीन आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी। यह प्रभार, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों द्वारा आनुपातिक रूप से वहन किया जायेगा।

(i) किसी अल्पावधिक ग्राहक द्वारा, वितरण तंत्र के उपयोग हेतु देय व्हीलिंग प्रभार, उतना ही होगा, जितना कि दीर्घावधिक ग्राहक द्वारा देय होता है। किसी विवरण तंत्र के मामले में अल्पावधिक ग्राहक द्वारा देय व्ही लिंग प्रभार किसी एक संवर्ग में एक दिन में 24 घंटे तक अथवा उसके किसी भाग के लिए लिया जायेगा, जो व्हीलिंग प्रभार के बराबर होगा।

(ii) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से इस प्रकार अर्जित आमदनी का 50 % दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों के व्हीलिंग प्रभार को कम क रने हेतु उपयोग में लाया जायेगा। शेष 50 % आमदनी उस वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, जिसके क्षेत्र में आहरण बिन्दु स्थित हो, अधोसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय के लिये रखा जायेगा।वितरण अनुज्ञप्तिधारी, अल्पावधिक से अर्जित आमदनी हेतु पृथक खाता बनाये रखेगा औ र किसी प्रकार का पूंजीगत व्यय करने के पूर्व, अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुरूप आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(3) संचालन प्रभारः–

(ए) एस.एल.डी.सी के शुल्कों एवं प्रभारों के उद्ग्रहण हेतु आयोग द्वारा यथा निर्मित विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित शेडय्ुलिंग (Scheduling) तथा तंत्र संचालन प्रभारों का भुगतान दीर्घावधिक मुक्त उपयोग राज्यभार प्रेषण केन्द्र (एस.एल.डी.सी.) को करेगा।

(बी) आयोग द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित संचालन प्रभार, अल्पावधिक ग्राहक द्वारा एस.एल.डी.सी. को देय होगा।

टीपः– संचालन प्रभार में, शेडयुलिंग (Scheduling)तथा तंत्र संचालन के शुल्क, सदभावी कारणों से अधिसुचित पुनरीक्षणों को प्रभावित करने हेतु शुल्क और संग्रहण तथा वितरण प्रभार सम्मिलित है।

(सी) अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों से संग्रहित सेवा शुल्कों का 50 %, एस.एल.डी.सी. द्वारा, अधोसंरचना के विकास हेतु पूंजीगत व्यय में रखा जायेगा। एस.एल.डी.सी., अल्पावधिक ग्राहकों से प्राप्त आमदनी हेतु पृथक खाता बनाये रखेगा और किसी पूंजीगत व्यय करने के पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा। शेष 50% दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों द्वारा देय प्रभारों में समायोजित किया जायेगा।

(4). असंतुलन (यू.आई.) प्रभारः–

(ए) आहरण बिन्दु(ओं) पर अभिसूचित एवं वास्तव में आहरित और अतःक्षेपण बिन्दु(ओं) पर अभिसूचित एवं वास्तव में अंतःक्षेपित विद्युत में असमानता की पूर्ति ग्रिड से की जायेगी और यह राज्यान्तरिक संव्यवहार पर लागू होने वाली संतुलन और समाधान संहिता से अभिशासित की जायेगी।

(बी) मुक्त उपयोग ग्राहकों को असंतुलन प्रभारों के लिए एक पृथक देयक जारी किया जायेगा।

(5). प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारः–

(ए) प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं द्वारा, मुक्त उपयोग के खाते में संदत्त तथा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा प्रभारों की गणना, आयोग द्वारा समय–समय पर अनुमोदित राज्यांतरिक पारेषण सहित उन संव्यवहारों को लागू होने वाली योजना के अनुरूप की जायेगी।

(बी) अविलंम्बित ग्राहक द्वारा प्रतिक्रियाशील ऊर्जा का आहरण एवं अंतःक्षेपण, उन विनियमों द्वारा अभिशासित होगा, जैसे कि संबंधित राज्य में लागू हों।

(6). अधिभारः–

(ए) आयोग, व्यक्तिगत वर्गों के ग्राहकों के लिए पृथक से प्रतिसहायता अधिभार विनिर्दिष्ट करेगा।

(बी) प्रतिसहायता अधिभार निर्धारित करने हेतु नियम व प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(i) प्रत्येक मुक्त उपयोग ग्राहक, जो इन विनियमों के अनुसार मुक्त उपयोग द्वारा विद्युत आपूर्ति की इच्छा रखता हो, ऐसे प्रति सहायता अधिभार के भुगतान हेतु उत्तरदायी होगा, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये।

(ii) ऐसा अधिभार, टैरिफ वर्ग/टैरिफ खण्ड और/या उस वोल्टेज स्तर, जिससे ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक सम्बद्ध या संयोजित होंगे, जैसी भी स्थिति हों के वर्तमान स्तर पर आधारित होगा। यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने विद्युत की आपूर्ति की हो, तो ग्राहक के संबंधित संवर्ग पर लागू होने वाली टैरिफ दर और ऐसी आपूर्ति पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन की गई लागत के अंतर के आधार पर इसकी परिगणना की जायेगी।

परंतु यह कि ऐसा अधिभार, उद्ग्रहण योग्य नहीं होगा, यदि उपलब्ध कराया गया मुक्त उपयोग ऐसे व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया हो, जिसने अपना कैप्टिव उत्पादन संयंत्र स्थापित किया हो और उसे अपने स्वयं के उपयोग हेतु गन्तव्य तक विद्युत ले जाने के लिए उपलब्ध कराया गया हो।

(7). **अतिरिक्त अधिभारः–** आयोग, अधिनियम की धारा 42(4) के अध्यधीन वार्षिक आधार पर अतिरिक्त अधिभार निर्धारित करेगा।

(8). **अन्तर संयोजन प्रभारः–** ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक, जो अपने उत्पादकों और भागों के लिए ग्रिड के साथ अंतर संयोजन करना चाहतें हों, उन्हें ऐसे अंतर संयोजन प्रभार को भुगतान करना होगा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(9). **संयोजकता प्रभारः–** मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा, ग्रिड से संयोजन प्राप्त करने हेतु ऐसा एकल संयोजकता प्रभार देय होगा, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(10) कोई अन्य प्रभार, नगद या किसी अन्य रीति से मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा देय होंगे, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(11) उस मामले में जहाँ कोई मुक्त उपयोग ग्राहक, अंतर्राज्यीय पारेषण तंत्र और क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा किसी अन्य राज्य के राज्य भार प्रेषण केन्द्र का उपयोग करता है, तो उसे इन विनियमों के अधीन निर्धारित प्रभारों के अतिरिक्त केन्द्रीय पारेषण यूटिलिटी और अन्य राज्य के राज्य पारेषण केन्द्र तथा अन्य राज्य के राज्य भार प्रेषण केन्द्र के सेवा प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

12. सभी मुक्त उपयोग उपयोगकर्ता, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयत्न करेगा कि उनकी वास्तविक मांग या वास्तविक प्रेषण क्षमता, जैसी भी स्थिति हो, किसी अंतर संयोजन में अनुबंधित अधिक्तम मांग और उस अन्तर संयोजन की वास्तविक प्रेषण क्षमता की सीमा न लांघे।

परंतु यह कि उपयोग अनुबंधों से संबंधित सभी प्रवेश तथा निकासी के बिन्दुओं पर ऊर्जा तथा मांग के संतुलन और व्यवस्थापन को पूरा करने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी, समय–समय पर यथा संशोधित, संतुलन और व्यवस्थापन संहिता का कठोरतापूर्वक पालन करेगा।

परंतु यह और कि जब तक आयोग द्वारा संतुलन और व्यवस्थापन संहिता अनुमोदित नहीं कर दी जाती, तब तक वर्तमान अनुबंधों में ऊर्जा तथा मांग के संतुलन हेतु प्रवाधित निवंधनें एवं शर्ते लागू रहेंगे।

13. मुक्त उपयोग प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया

(1) दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहकों के लिए प्रक्रिया

(ए) दीर्घावधिक मुक्त उपयोग के लिए आवेदन, एस.टी.यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष, किसी उपयोग ग्राहक द्वारा अनुबंध/आपूर्तिकर्ता को प्रतिबद्धता/अंतिम लाभग्राही के विवरण सहित) प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन में, आवश्यक क्षमता, अंतःक्षेपण के बिन्दु, आहरण के बिन्दु, मुक्त उपयोग प्राप्त करने की अवधि, चरम भार, औसत भार, इन विनियमों के अनुलग्न 1 के अनुसार अन्य जानकारी और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी, जैसी कि एस. टी.यू. द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, आदि सम्मिलित होगा। यदि चाहे गए मुक्त उपयोग का अंतिम उपयोगकर्त्ता राज्य के किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी का अपभोक्ता हो, तो ऐसे ग्राहक की ओर से यह वचन कि वह इन विनियमों विभिन्न प्रभारों का उसके द्वारा किये जाने वाले भुगतान आदि से सम्बन्धित विनियमों के अधीन निवंधनों एवं शर्तों का पालन करेगा, इन विनियमों के अंतर्गत् प्राप्त कर आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा। कोई ग्राहक, जो मुक्त उपयोग प्राप्त करने का आशय रखता हो, वह अपने आवेदन की एक प्रति इस मुक्त उपयोग संचालन में शामिल राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देगा।

(बी) नोडल एजेन्सी, आयोग के अनुमोदन से इन विनियमों के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आवश्यक मार्गदर्शिका प्रक्रिया तथा आवेदन प्रपत्र जारी करेगा।

(सी) आवेदन पत्र के साथ रू. 5000/– का वापसी अयोग्य आवेदन पंजीकरण शुल्कएस.टी.यू. द्वारा निर्धारित तरीके से देय होगा।

(डी) अन्य पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों सहित अन्य सम्मिलित एजेन्सियों के परामर्श से संचालित तंत्र के अध्ययन के आधार पर, नोडल एजेन्सी, आवेदन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर, आवेदक को संसूचित करेगा कि दीर्घावधिक उपयोग, तंत्र को और भी सशक्त किये बिना स्वीकार किया जा सकता है अथवा नही।

(ई) जहाँ तंत्र को और भी सशक्त किये बिना इन विनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत दीर्घावधिक मुक्त उपयोग दिया जा सकता हो, वहाँ व्यावसायिक अनुबंध होते ही इसे स्वीकार किया जायेगा।

(एफ) यदि नोडल एजेन्सी की राय में दीर्घावधिक उपयोग उपलब्ध कराने के पूर्व तंत्र का और सशक्तिकरण आवश्यक हो, तब आवेदक नोडल एजेन्सी तंत्र सशक्तिकरण के प्राक्कलन एवं पूर्णता हेतु सारिणी बनाने के उद्देश्य से तंत्र अध्ययन और प्रारंभिक अनुसंधान पूर्ण करने का अनुरोध कर सकेगा। आवेदक से अनुरोध प्राप्त होन पर नोडल एजेन्सी शीघ्र ही अध्ययन करेगा

और अध्ययन का परिणाम अनुरोध के दिवस से भीतर सूचित करेगा। तंत्र सशक्तिकरण के अध्ययन हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा वहन किये गये व्यय की भरपायी आवेदक करेगा।

(जी) यदि किसी आवेदक को उपयोग उपलब्ध करा ने हेतु नेटवर्क में वद्धि आवश्यक हो तो अनुज्ञप्तिधारी ऐसी वृद्धि एक युक्तियुक्त समय में करेगा। परंतु यह कि एस.टी.यू./अनुज्ञप्तिधारी के पास ऐसे पूंजीगत व्यय हेतु वित्त व्यवस्था करने के लिए निधि संग्रहण की योग्यता होनी चहिए और एस .टी. यू./अनुज्ञप्तिधारी अपने द्वारा वहन की गई लागत युक्तियुक्त समयावधि के भीतर वापस प्राप्त कर सकेगा।

(एच) जहाँ मुक्त उपयोग हेतु एस.टी.यू./अनुज्ञप्तिधारी द्वारा केवल किसी मुक्त उपयोग ग्राहक के उपयोग हेतु निर्मित समर्पित पारेषण तंत्र अथवा वितरण तंत्र का उपयोग किया जाता है, वहाँ अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे व्यय की मांग कर सकेगा।

(आई) संभव्यता स्थापित होने के पश्चात् और अनुबंध के निस्पादन के पूर्व, आवेदक द्वारा नोडल एजेन्सी को मुक्त उपयोग अनुबंध शुल्क के रूप में कुल 50,000/– रूपयो का भुगतान किया जायेगा।

(जे) अनुबंध निष्पादित होने और उसकी प्रतियाँ एस.एल.डी.सी. के समक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात् एस.एल.डी.सी. मुक्त उपयोग ग्राहक को उस तिथि की सूचना देगा जिससे मुक्त उपयोग उपलब्ध होगा। यह तिथि अनुबंध निष्पादन की तिथि से तीन दिनों के बाद की नही होगी।

(के) कोई दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक, आयोग के पूर्व अनुमोदन क` बिना, अनुबंध में विर्निर्दिष्ट अपने अधिकारों या दायित्वों का तयाग या अंतरण नही करेगा। अधिकारों या दायित्वों का त्याग आयोग द्वारा विर्निदिष्ट क्षतीपूर्ति के भुगतान के अधीन होगा।

(2). अल्पावधिक उपयोग ग्राहक हेतु प्रक्रिया

(ए) अल्पावधिक मुक्त उपयोग हेतु आवेदन, किसी मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा (अनुबंध/आपूर्ति कर्ता के वचन/अंतिम लाभग्राही के विवरण आदि के साथ) एस.एल.डी.सी. के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन में आवश्यक क्षमता, अतःक्षेपण वले बिन्दु, आहरण के बिन्दु मुक्त उपयोग प्राप्त करने की अवधि, चरम भार, औसत भार, इन विनियमों के अनुलग्नक–1 के अनुसार अन्य जानकारी और ऐसी अन्य अतिरिक्त जानकारी, जैसा कि एस .एल.डी.सी. द्वारा निर्दिष्ट किया जाये, आदि सम्मिलित होगी। कोई ग्राहक जो मुक्त उपयोग प्राप्त करने का आशय रखता हो वह भी अपने आवेदन की एक प्रति उस क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी को देगा, जाहाँ प्रत्यक्ष या अवलंबित ग्राहक पाये जायें

(बी) आवेदन पत्र के साथ, वापसी अयोग्य आवेदन पंजीयन शुल्क रू . 1000/– उस रीति से जैसा कि एस.एल.डी.सी. निर्धारित को देय होगी।

(सी) अल्पावधिक मुक्त उपयोग की संभाव्यता का परीक्षण, संबंधित एस.टी.यु/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी और/या वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सलाह लेकर एस.एल.डी.सी. करेगा और आवेदन पर निम्नलिखित निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यवाही करेगाः–

एक दिन तक	12 घंटे
एक सप्ताह तक	दो दिन
एक सप्ताह से अधिक	चारदिन

(डी) संभाव्यता स्थापित होने के पश्चात् और अनुबंध निष्पादन के पूर्व, मुक्त उपयोग अनुबंध शुल्क के रूप में कुल 10,000/– रूपये (दस हजार रूपये) उस नाम व ऐसी रीति से, जैसा कि एस.एल.डी.सी. तय करे, एस.एल.डी.सी. को देय होगा।

(ई) किसी अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा आरक्षित क्षमता अन्यों को स्थानान्तरण योग्य नही होगी।

(एफ) पंजीयन/अनुबंध के प्रयोजन हेतु और अन्य सभी उद्देश्यों के लिए शुल्क अल्पावधि मुक्त उपयोग अनुबंधो का नवीनीकरण उसी प्रकार किया जायेगा जैसे कि कोई नया आवेदन हो।

(3) मुक्त उपयोग हेतु बोली प्रक्रिया

(ए) विनियम 13(2) के अनुरूप यदि ग्राहकों द्वारा आरक्षित की जा सकने वाली क्षमता, उस समय उपलब्ध क्षमता से अधिक दिखाई दे तो एस.एल.डी.सी. ऐसे ग्राहकों से बोलियाँ आमंत्रित करेगी।

(बी) बोली के लिए न्यूनतम निर्धारित कीमत, विनियम 11(1) और/या इन विनियमों के अनुरूप निर्धारित एस.टी. दर होगी।

(सी) बोली लगाने वाले न्यूनतम निर्धारित कीमत की शर्तो पर कीमत उद्धृत करेंगे।

(डी) किसी बोली लगाने वाले को निम्नतम निर्धारित कीमत के पांच गुने से अधिक की कीमत उद्धृत करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(ई) पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण, उद्धृत कीमत के धरते क्रम में किया जायेगा।

(एफ) यदि दो या अधिक बोली लगाने वालों ने समान कीमत की बोली लगाते हैं, तो पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण, पारेषण और/या वितरण आरक्षण किये जाने हेतु दर्शित क्षमता के आनुपातिक रूप से किया जावेगा।

(जी) वह अल्पवाधिक ग्राहक, जिसने अपने द्वारा वांछित क्षमता से कम क्षमता हेतु आरक्षण प्राप्त किया हो, वह अपने द्वारा उद्धृत प्रभारों का भुगतान करेगा और ऐसे अल्पावधिक ग्राहक, जिन्होने वांछित क्षमता के बराबर पारेषण और/या वितरण क्षमता का आरक्षण प्राप्त किया हो, वे उस अंतिम ग्राहक

द्वारा, जिसने वांछित क्षमताके बराबर क्षमता का आरक्षण प्राप्त किया हो, उद्धृत प्रभारों के बराबर प्रभार का भुगतान करेंगे।

(4) दिन पूर्व संव्यवहार

(ए) दिन पूर्व संव्यवहारों के मामले विनियम 11 में विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, संचालन प्रभार व अन्य प्रभारों के अग्रिम भुगतान पर जोर नही दिया जायेगा। ये भुगतान आवेदन देने से तीन कार्य दिवसों के भीतर किये जा सकेंगे।

(बी) मुक्त उपयोग एवं कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया गया संयुक्त निवेदन, अधिकतम अपरान्ह 3 बजे तक एस.एल.डी.सी. को प्रेषित कर दिया जावेगा। यदि निवेदन संकुलता कारित किये बिना समायोजित किया जा सकता हो, तो एस.एल.डी.सी. इसे अपने मुक्त उपयोग कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु कदम उठायेगी।

(सी) एस.एल.डी.सी. द्वारा शाम 5 बजे जारी किये गये प्रथम प्रेषण कार्यक्रम के पश्चात् ज्ञात होने वाले आधिक्यों का उपयोग करने हेतु मुक्त उपयोग एवं कार्यक्रम बनाने हेतु संयुक्त निवेदन अभिमानतः पहले या अधिकतम रात्रि 10 बजे तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाये। राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस .एल.डी. सी.) इसे, जारी किये जाने वाले पुनरीक्षित प्रेषण कार्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास करेगा, यदि यह निवेदन संकुलता कारित किये बिना समायोजित कियम जा सके।

(5) उसी दिन संव्यवहारः

(ए) विनियम 11 में विनिर्दिष्ट पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, संचालन प्रभार व अन्य प्रभारों के अग्रिम भुगतान पर जोर नही दिया जायेगा। ये भुगतान आवेदन देने से तीन कार्यदिवसों के भीतर किये जा सकेंगे।

(बी) आपात् स्थिति की दशा में मुक्त उपयोग ग्राहक अल्पावधिक आपात् आवश्यकता ो उसी दिन निपटाने हेतु विद्युत के स्त्रोंत ढूंढ सकेगा और मुक्त उपयोग हेतु अपना निवेदन एस.एल.डी.सी. को अग्रेषित कर सकेगा। एस.एल. डी.सी. वास्तविक संभाव्य सीमा तक, ऐसे आपात् निवेदनों को शीघ्रातिशीघ्र समायोजित करने का प्रयास करेगी।

(6) अनुसूचियन

(ए) क्रेता तथा विक्रेता के मध्य दिवस प्रेषण अनुसूची पर करार हो जाने के उपरांत उसमें कोइ्र परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(बी) प्रेषण अनुसूची अथवा आहरण में विचलन जो छ.रा.वि.मं. के ग्रिड से आपूरित किया गया हो ए.बी.टी. पर होगा न कि माध्य खपत आधार पर।

14. मुक्त उपयोग अनुबंध

(1) कोई मुक्त उपयोग ग्राहक, जहाँ तक लागू हो, एस .टी.यू./संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों, उत्पादकों, व्यापारियों और अन्यों से अनुबंध निष्पादित करेगा आ`र ऐसी अन्य शर्तों को जैसी कि इन विनियमों के अधीन निर्धारित की जायें पूरा करेगा।

(2) थोक विद्युत पारेषण अनुबंधः– पारेषण तंत्र का उपयोग करने वाला कोई दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक, राज्यान्तरिक पारेषण तंत्र का उपयोग करने के लिए, एस .टी. यू./पारेषण अनुज्ञप्तिधारी से थोक विद्युत पारेषण अनुबंध (बी .पी.टी.ए.) निष्पादित करेगा।

(3) थोक विद्युत व्हीलिंगअनुबंधः– वितरण तंत्र का उपयोग करने वाला कोई दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक वितरण तंत्र का उपयोग करने के लिए वितरण अनुज्ञप्तिधारी से थोक विद्युत व्हीलिंग अनु बंध (बी.पी.डब्ल्यू.ए.) निष्पादित करेगा।

(4) अनुबंधो की स्वीकृति का इलेक्ट्रानिक संवहन मान्य होगा ।

(5) अनुबंधो की प्रस्तुति से 3 दिनो के भीतर एस .टी.यू/अनुज्ञप्तिधारी / एस.एल.डी.सी. मुक्त उपयोग ग्राहक को प्रवृत्त होने के दिनांक की सूचना देगा ।

(6) अनुज्ञप्तिधारी, किसी मुक्त उपयोग ग्राहक से हुए नये अनुबंध की जानकारी, अनुबंध के प्रारूपीकरण से सात दिनों के भीतर, उसे वेबसाइट में प्रदर्शित करने के अतिरिक्त, एस.एल.डी.सी. को भी देगा।

15. मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा आरक्षित क्षमता का उपयोग न किया जाना

(1) यदि कोई मुक्त उपयो ग ग्राहक, आरक्षित क्षमता के किसी पूर्ण या महत्वपूर्ण भाग का उपयोग करने में असमर्थ है तो वह नोडल एजेन्सी को, आरक्षित क्षमता के उपयोग में अपनी असमर्थता उसके कारणों सहित सूचित करेगा, और वह आरक्षित क्षमता का समर्पण भी कर सकेगा।

(2) इन विनियमों में किसी ब ात के होते हुए भी, किसी ग्राहक द्वारा बारंबार अधिकतर क्षमता से कम का उपयोग किया जाये, तो नोडल एजेन्सी स्वप्रेरणा से, ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक के लिए आरक्षित क्षमता में कमी कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है।

परंतु, ऐसे मुक्त उपयोग ग्राहक को, जिसकी आरक्षित क्ष मता कम या रद्द किया जाना वांछित हो पूर्व सूचना दिये बिना इस खंड के अधीन उसकी आरक्षित क्षमता कम या रद्द नहीं की जा सकेगी ।

(3) मुक्त उपयोग ग्राहक, जिसने आरक्षित क्षमता खण्ड (1) के अधीन समर्पित कर दी हो या जिसकी आरक्षित क्षमता खण्ड (2) के अनुसार कम या रद्द कर दी गई हो वह दीर्घावधिक ग्राहक होने की दशा में 30 दिन और अल्पवधिक ग्राहक होने की दशा में 7 दिन या उस अवधि का, जिसका आरक्षण समर्पित या कम या रद्द, जैसी भी स्थिति हो किया गया हो जो भी अवधि कम हो के लिए पारेषण /व्हीलिंग प्रभार और संचालन प्रभ ार जो मूल आरक्षित क्षमता पर आधारित हो वहन करेगा ।

टीपः– इस खण्ड के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति 'संचालन प्रभार' का अर्थ वही है, जैसा कि उस पर विनियम 11 द्वारा समानुदेशित किया गया है।

(4) विनियम 15 (1) के अधीन किसी मुक्त उपयोग ग्राहक द्वारा समर्पण करने या विनियम 15 (2) के अधीन नोडल एजेन्सी द्वारा उसकी आरक्षित क्षमता कम करने अथवा रद्द करने के कारण उपलब्ध हुई पारेषण/वितरण क्षमता इन विनियमों के अनुरूप किसी अन्य मुक्त उपयोग ग्राहक के लिए आरक्षित की जा सकती है।

16. छंटाई प्राथमिकता

(1) जब किसी बाध्यता के कारण या अन्यथा, मुक्त उपयोग ग्राहकों के सेवा को कम करना आवश्यक हो जाये, तो पहले अल्पावधिक ग्राहकों की सेवा में कमी की जाये और उसके पश्चात् दीर्घावधिक ग्राहकों की। परंतु यह कि एक वर्ग के सभी उपयोगकर्ताओं को छंटाई प्राथमिकता समान होगा और उन्हे, दीर्घावधिक ग्राहकाओं के मामले में आवंटित पारेषण क्षमता ताकि अल्पावधिक ग्राहकों के मामले में आरक्षित पारेषण क्षमता के लिए अपनुपातिक आधार पर छांटा जायेगा ।

(2) यदि भारत शासन / छत्तीसगढ़ शासन एक क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) /राज्य उत्पादन केन्द्र (केन्द्रों) जैसी भी स्थिति हो, से विद्युत एक अन्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को आवंटित करे और एस.एल.डी.सी. की राय में पारेषण श्रृंखला में संकुलता के कारण इसे अन्यथा क्रियान्वित नही किया जा सकता तो वह अल्पावधिक ग्राहक के लिए आरक्षित पारेषण क्षमता में कमी या उसे रद्द कर सकता हे । यदि एस.एल.डी.सी. किसी अल्पावधिक ग्राहक के आरक्षित पारेषण क्षमता को इस खण्ड के अधीन कम या रद्द करती हैं, तो शीघ्रातिशीघ्र इस निर्णय की सूचना संबंधित अल्पवधिक ग्राहक को दी जायेगी।

17. छंटनी की दशा में अल्पावधिक ग्राहकों के लिए पारेषण प्रभार

यदि किसी दिन विशेष को, पारेषण विवशताओं के कारण, एस.एल.डी.सी. द्वारा, आरक्षित पारेषण क्षमता की 55% या उससे अधिक की छंटनी की जाती है, तो अल्पावधिक ग्राहक द्वारा, उस दिन के लिए पारेषण प्रभार, वास्तविक रूप से उपलब्ध पारेषण क्षमता के अनुरूप आनुपातिक रू॰ से देय होगा ।

18. मीटरीकरण

(1) मुक्त उपयोग ग्राहकों के द्वारा, आयोग द्वारा, मीटरिंग संहिता में वोल्टेज, आपूर्ति एवं टैरिफ वर्ग के बिन्दु एवं अवधि के आधार पर, ऐसे ग्राहकों के लिए मुख्य मीटरों के रूप में यथा विनिर्दिष्ट, ए.बी.टी. के अनुरूप विशेष ऊर्जा मीटर प्रवेश तथा आहरण के बिंदुओं पर उपलब्ध कराये जायेंगे। 'मीटर' शब्द के अंतर्गत विद्युत प्रवाह ट्रांसफार्मर्स, वोल्टेज/विभव ट्रांसफार्मर्स, उनके बीच डाले गये तार, मीटर का डिब्बा/फलक भी शामिल है । संबंधित अनुज्ञप्तिधारी मीटरों, मीटरिंग उपकरणों और मीटरों की स्थापना को प्रमाणित करेंगे ।

(2) मुख्य मीटर हमेशा अच्छी स्थिति के बनाये रखे जायेंगे और नोडल एजेन्सी द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए हमेशा खुले रहेंगे ।

(3) संबंधित अनुज्ञप्तिधारी, मुख्य मीटरों के समान विशेषताओं वाले जांच मीटर भी उपलब्ध कराएगें।

(4) संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सम्मिलित दूसरे पक्ष की उपस्थिति में मुख्य तथा जांच मीटरों का कालावधिक परीक्षण तथा मानक अंकन किया जायगा । मुख्य तथा जाँच मीटरों को उभय पक्ष द्वारा मुहरबंद किया जायेगा । त्रुटिपूर्ण मीटरों को तत्काल बदल दिया जायेगा ।

(5) मुख्य तथा जाँच मीटरों का कालावधिक वाचन, संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसके लिए अधिकृत उसके किसी अधिकारी, उत्पादक और ग्राहक या उसके प्रतिनिधि–जैसी भी स्थिति हो, द्वारा नियत दिन तथा समय पर किया जायेगा । मीटर वाचन के 12 घण्टे के भीतर, उसे एस.एल.डी.सी., मुक्त उपयोग ग्राहक और उत्पादक कंपनी या व्यापारी को सूचित किया जायेगा ।

(6) यदि मुख्य मीटर त्रुटिपूर्ण हो जावे अथवा बंद हो जावे तो जांच मीटर की रीडिंग मान्य होगी। यदि मुख्य मीटर एवं जांच मीटर की रीडिंग में स्वीकृत प्रतिशत त्रुटि का दोगुना अंतर आवे तो त्रुटिपूर्ण मीटर को तत्काल बदल दिया जावे। तुख्य मीटर एवं जांच मीटर दोंनो की सत्यता की जांच की जावे।

(7) यदि मुक्त उपयोग ग्राहक, अनुज्ञप्तिधारी से मुख्य मीटर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा करे, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को सुरक्षानिधि उपलब्ध करायेगा और उसक` किराये का भुगतान करेगा । मीटर का रख रखाव अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिया जायेगा।

19. ऊर्जाक्षय

(1) मुक्त उपयोग ग्राहक, आयोग द्वारा टैरिफ अवधारण हेतु निबंधन एवं शर्तों से संबंधित अधिनियम की धारा 61 के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसरण में अनुमोदित किये गये, पारेषण तंत्र एवं वितरण तंत्र के ऊर्जा क्षयों को वहन करेगा। पारेषण एवं वितरण तंत्रों में होने वाले ऊर्जा क्षयों की भरपाई अतःक्षेपण बिन्दु(ओं) पर अतिरिक्त अंतःक्षेपण द्वारा की जायेगी।

(2) पिछले 12 माह के औसत ऊर्जा क्षय से संबंधित जानकारी एस .एल.डी.सी. और पारेषण एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के वेबसाइट में उपलब्ध रहनी चाहिए।

20. देयकों की तैयारी और उनका भुगतान

(1) विनियम 11 में दर्शित प्रभारों के लिए देयक एस .टी.यू. / संबंधित अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी. द्वारा जैसी भी स्थिति हो, तैयार किया जाये गा। मुक्त उपयोग ग्राहक इन देयकों का भुगतान सीधे इन्हें जारी करने वालों को करेगा।

(2) भुगतान हेतु सुरक्षा निधि

<u>दीर्घावधिक ग्राहकः</u>

पारेषण एवं व्हीलिंग प्रभारों, जो भी लागू हो, के लिए सुरक्षा निधि संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रखी जाने वाली मान्य अनुसूची के आधार पर, विद्युत की लागत को छोडकर पिछले एक माह की औसत देयक राशि के बराबर होगी। एस .एल.डी.

सी. प्रभारों के लिए सुरक्षा निधि, वार्षिक प्रभारों के 1/12 के बराबर होगी, जिसे एस.एल.डी.सी के साथ बनाये रखा जायेगा। सुरक्षा निधि बैंकर्स चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा की जायेगी अथवा इसे साखपत्र (लेटर ऑफ क्रेडिट) के रूप में रखा जायेगा।

<u>अल्पावधिक ग्राहकः</u>

पारेषण प्रभार, व्हीलिंग प्रभार, संचालन प्रभार ओर अन्य प्रभार संबंधित तंत्र को माहवारी आधार पर देय होंगे। उपयोग प्रदत्त किये जाने के तीन कार्य दिवस ों के भीतर, एक माह या उपयोग की अवधि, जो भी कम हो, के लिए अग्रिम भुगतान (सुरक्षा निधि) किया जायेगा। पश्चातवर्ती भुगतान अगला माह प्रारंभ होने के कम से कम एक दिन पूर्व किया जायेगा। यदि प्रदान की गई उपयोग की अवधि एक माह से अधिक की हो, तो अल्पावधिक ग्राहक अप्रतिहस्तांतरणीय समर्थन साख पत्र, मुक्त उपयोग प्रारंभ होने के सात दिनों के भीतर देगा।

(3) सभी भुगतान या तो संबंधित तंत्र के स्थान पर भुगतान योग्य चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अथवा इलेक्ट्रानिक अंतरण द्वारा किया जायेगा।

(4) भुगतान में चूक की दशा में आपूर्ति संयोजन का विच्छेद;

बकायों का भुगतान न करने की दशा में, अनुज्ञप्तिधारियों को अधिनियम की धारा 56 के अनुरूप, आपूर्ति संयोजन के विच्छेद का अधिकार होगा।

(5) असंतुलन (अससूंचित अदला बदली) प्रभारों और प्रतिक्रियाशील उर्जा प्रभारों का संग्रहण एंव वितरण, आयोग द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट प्रक्रिया एंव कार्यप्रणाली के द्वारा, अधिशासित होगा।

21. प्रवेश तथा निर्गमन बिन्दुओं में परिवर्तन हेतु लचीलापन

(1) एस.टी.यू/ संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसे उपयोगकर्ताओं के आदेश पर कराये जाने वाले तंत्र प्रभाव अध्ययनों के अध्यधीन, दीर्घावधिक ग्राहकों को वर्ष में एक बार प्रवेश और/या निर्गमन बिन्दंओं को परिवर्तित करने हेतु मुक्त होगा बशर्तें उससे वर्तमान उपयोगकर्ताओं के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव न पडे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऐसे अध्ययनों पर किया गया संपूर्ण व्यय ऐसे उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रतिपूर्त किया जायेगा।

(2) यदि सम्भव हो तो उत्पादन या संबद्ध पारेषण की अनुपलब्धता के समय इससे उत्पन्न आकस्मिकता की दशा में एस.एल.डी.सी किसी अल्पावधिक ग्राहक को अंतःप्रेक्षण बिन्दु या बिन्दओं में परिवर्तन करने की अनुमति दे सकेगा।

(3) अतिरिक्त या नये पारेषण गलियारे में पारेषण क्षमता जो एस.एल.डी.सी. द्वारा अंतःक्षेपण बिन्दुओं में परिवर्तन की अनुमति देने के कारण उपलब्ध हो, उसका आरक्षण इन विनियमों के अनुरूप प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

(4) जब एस.एल.डी.सी द्वारा अंतःक्षेपण बिन्दु (ओं) में परिवर्तन की अनुमति दे दी जाये, तब पूर्व में पटाया गया, पारेषण प्रभार एंव सेवा प्रभार, पुनरीक्षित पारेषण क्षमता आरक्षण के अनुरूप देय होने वाले पारेक्षण प्रभार एवं सेवा प्रभार में समायोजित किया जायेगा।

22. प्रकीर्णः

संचार सुविधा

(1) ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली संचार सुविधाओं को मामला दर मामला आधार पर एस.एल.डी.सी द्वारा परिभाषित किया जायेगा। मुक्त उपयोग ग्राहक को ऐसी सारी सुविधायें उपलब्ध करानी होगी।

(2) मुक्त उपयोग ग्राहक के पास दूरभाष, फैक्स और ई–मेल की सुविधा होनी चाहिए । उनके संचार प्रणाली की विस्तृत जानकारी एस.एल.डी.सी और नोडल अभिकरण को दी जायेगी ।

सूचना तंत्र

(3) एस.टी.यू./अनुज्ञप्तिधारी और एस.एल.डी.सी. द्वारा अपनी वेबसाईट पर, ''मुक्त उपयोग सूचना'' शीर्षक के अंतर्गत एक अलग वेब पृष्ठ पर अल्पावधिक एवं दीर्घावधिक ग्राहकों के लिए अलग–अलग निम्नानुसार जानकारी रखी जायेगी जिसे आवश्यकतानुसार समय–समय पर अद्यतन किया जायेगा। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है एवं ऐसी जानकारी के आदान प्रदान करने के लिये होगा जो उपयोग आवेदनों के प्रारूप में आवश्यक है।

(i) ग्राहक का नाम

(ii) उपयोग की अवधि (प्रारंभ और समापन की तिथियॉ)

(iii) अंतःक्षेपण के बिन्दु

(iv) आहरण के बिन्दु

(v) पारेषण तंत्र/वितरण तंत्र की क्षमता

(vi) उपयोग की गई मुक्त उपयोग क्षमता

(vii) लागू दरें

(viii) उपलग्ध पारेषण क्षमता

(ix) विस्तुत जानकारी के साथ राज्यांतरिक मुक्त उपयोग हेतु आवेदकों की प्रतीक्षा सूची ।

(x) उपयोग (अधिक/कम) की मात्रा (मेगावाट में) के मुकाबले आवंटित क्षमता (मामूली उतार चढ़ाव को छोड़कर) संगत आधारों पर प्रतिवेदित की जायें और

(xi) राज्य के भीतर स्थित पारेषण और वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के तंत्र के अल्पावधिक ग्राहकों के लिए रूपयों में प्रति मेगावाट प्रतिदिन की न्यूनतम निर्धारित दर (एस.टी.दर)

(4) उपरोक्त जानकारियों पर आधारित एक त्रैमासिक प्रतिवेदन भी अनुज्ञप्तिधारी के वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा । इन वेबसाइटों में पिछले 12 माह में पारेषण तंत्र और विवरण तंत्र के उर्जा क्षय से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) यदि कोई मुक्त अधिगमन ग्राहक अथवा अनुज्ञप्तिधारी ऐसी वांछा करें, तो एस .एल. डी.सी.ए उन्हे उपलब्ध या वांछित क्षमता की जानकारी, दीर्घावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक होने की दशा में अधिकतम 15 दिवस और अल्पावधिक मुक्त उपयोग ग्राहक होने की दशा में तीन दिवस की अवधि के भीतर, उपलब्ध करायेगा।

(6) एस.एल.डी.सी.ए मांग में परिवर्तनों (भार व्यवहार) पर विस्तृत जानकारी अपनी वेबसाईट पर उपलब्ध करायेगा और एस .एल.डी.सी. अनुज्ञप्तिधारी के साथ मिलकर विद्युत तंत्र के बारे में वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराने की क्षमता विकसित करेगा ।

(7) इस विनियम के प्रभावी होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर सूचना का प्रावधान प्रारम्भ होगा ।

समन्वय

(8) मुक्त उपयोग के क्रियान्वयन की सफलता के लिए यह अनिवार्य है कि अनुज्ञप्तिधारी और एस.एल.डी.सी. अपने अपने आपूर्ति के क्षेत्र में विशेषकर उर्जा प्रवाह पर, पारेषण और वितरण तारों पर भार, और तंत्र के स्थयित्व निर्धारण हेतु उपकरणों, उपलब्ध क्षमता नेटवर्क में संकुलता आदि के निर्धारण हेतु मुक्त उपयोग के स्तर का निर्धारण करने के लिये, अपने मध्य सू चना का आदान प्रदान दैनिक आधार पर करें।

ग्रिड अनुशासन और आपूर्ति की गुणवत्ता

(9) अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 57 के अधीन एवं भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता और छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता के अधीन निर्धारित आपूर्तिमानकों का अपने नेटवर्क के सभी मुक्त उपयोग ग्राहकों के लिये जहॉ तक ये गुणवक्ता मानक उन्हें लागू हों सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा ।

(10) सभी मुक्त उपयोग ग्राहक, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड संहिता और एस.टी.यू. तथा एस.एल.डी.सी. द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करेगे ।

23. प्रतितोषण व्यवस्था

(1) मुक्त उपयोग से संबंधित कोई भी विवाद या शिकायत जैसे अनुचित व्यवहार, विलंब, विभेद, सूचनाओं की कमी अथवा कोई अन्य विषय नोडल एजेन्सी (एस .टी.यू. /एस.एल.डी.सी.) को प्रतिवेदित किया जायेगा, जो जांच क र शिकायत के निराकरण का प्रयास करेगा।

(2) पारेषण/वितरण सुविधा की उपलब्धता के संबंध में अनुसुलझे विवादों पर आयोग निर्णय देगा।

24. कठिनाईयों को दूर करने की शक्तियॉ

(1) इन विनियमों के प्रावधानों में से किसी को प्रभावशील करने में यदि कोई कठि नाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा एस .एल.डी.सी, उत्पादकों अनुज्ञप्तिधारियों और मुक्त उपयोग ग्राहकों को ऐसी समुचित कार्यवाही करने का निर्देश दे सकेगा जो अधिनियम के प्रावधानो से असंगत न हो और जो आयोग को कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक एवं समुचित प्रतीत हों।

(2) मुक्त उपयोग ग्राहक, उत्पादक, अनुज्ञप्तिधारी और एस .एल.डी.सी. आयोग के समक्ष आवेदन कर सकेगें और इन विनियमों के क्रियान्वयन में उत्पन्न हो सकने वाली किन्ही कठिनाईयों को दूर करने के लिए समुचित आदेश प्रा प्त कर सकेंगे।

25. संशोधन की शक्ति

आयोग, आवश्यक प्रक्रियाओं का अनुसरण कर समय समय पर इन विनियमों के किन्ही प्रावधानों को बढ़ा, घटा, परिवर्तित, रूपान्तरित या संशोशित कर सकेगा ।

26. व्यावृत्तियॉ

(1) इन विनियमों की किसी बात के बारे में यह नही माना जायेगा कि वह न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या आयोग की प्रक्रिया का दरूपयोग रोकने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले आदेश देने की आयोग की शक्ति को सीमित या अन्यथा प्रभावित करता है।

(2) यदि आयोग की दृष्टि में किसी मामले या किन्ही मामलों के वर्ग के विशेष परिस्थितियों के कारण एवं उन कारणों से जो अभिलेखित किये जायें, ऐसे मामले या मामले के वर्ग के लिए आयोग अधिनियम के प्रावधानों से सुसंगत कोई ऐसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों के किन्ही प्रावधानो से भिन्न हो, तो उन्हें अपनाने से यह विनियम प्रवरित नही करेगी,

(3) इन विनियमों की कोई बात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मामले में कार्यवाही करने या अधिनियम के अधीन अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करने से आयोग को बाधित नही करेगी जिसके लिए कोई विनियम नही बनाये गये हे और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कृत्यों के साथ उस नीति से कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

टीप: इस विनियम के हिन्दी संस्करण की, अंग्रेजी संस्करण से प्रावधानों की व्याख्या या समझने में अंतर होने की दशा में, अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) का तात्पर्य सही माना जावेगा और इस संबंध में किसी विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

आयोग के आदेशानुसार

(अजय श्रीवास्तव)
उपसचिव

अनुलग्न क्रः– 1

मुक्त उपयोग के आवेदन में शामिल किये जाने वाली जानकारी के बारे में सुझाव (संदर्भ धारा 13(1) ओर (2))

(ए)

(i) आवेदक और उस व्यक्ति, जिसके लिए आवेदक, उपयोग के लिए आवेदन देने का कार्य कर रहा है, का नाम और पता

(ii) व्हीलिंग की प्रकृति, यथा या तो यह केप्टिव व्हीलिंग है या अन्य पक्ष विक्रय

(बी) आवश्यक नेटवर्क उपयोग का प्रकार, दीर्घावधिक या अल्पावधिक।

(सी) प्रवेश के बिन्दुः स्थिति, अंतर संयोजन का वोल्टेज स्तर ऐसे बिन्दुओं पर प्रेषित क्षमता (मेगावॉट में)।

(डी) निकास के बिन्दु स्थितिः संयोजन का वोल्टेज स्तर, ऐसे विकास बिन्दु पर आवश्यक क्षमता (मेगावॉट में) उपरोक्त (सी) ओर (डी) के उद्देश्यों के लिए उदाहरण यथाः–

(i) प्रत्येक प्रवेश बिन्दु (यदि कोई हो) पर उपयोगकर्ता के लिए अधिकतम उत्पादन क्षमता ओर प्रस्तावित घोषित प्रेषण क्षमता।

(ii) प्रत्येक निर्णय बिन्दु पर संयोजित या संयोजित किये जा सकने वाले संयंत्र की अपेक्षित अधिकतम मांग और औसत मांग।

(ई) प्रत्येक प्रवेश एवं निर्गमन बिन्दुओं पर संयोजित या संयोजित किये जा सकने वाले परिसरों का अपेक्षित विद्युत उत्पादन और खपत।

(एफ) अनुबंध की कुल अवधि

(जी) आवेदक के संयंत्र या भार का विस्तृत विवरण, जैसा कि समय समय पर संशोधित ग्रिड संहिता या वितरण संहिता, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा अपेक्षित हो।

(एच) समय समय पर यथा संशोधित मीटरिंग संहिता (ग्रिड संहिता या वितरण संहिता, जैसी भी स्थिति हो, का भाग) के अधीन अपेक्षित प्रवेश एवं निर्गमन बिन्दुओं पर मीटरिंग प्रबंधों का विस्तृत विवरण।

(आई) आवेदक के परिसरों में क्रिटिकल विद्युत भार, आवश्यक सेवाओं आदि, यदि कोई हो, तो का विवरण।

(जे) यह जानकारी कि क्या विद्युत प्राप्तकर्ता पूर्व से क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी का ग्राहक है? यदि हाँ, तो मुक्त उपयोग की अनुमति दिये जाने पर उसकी हैसियत क्या होगी ?

कोई और जानकारी जो एस.टी.यू/ अनुज्ञप्तिधारी या एस.एल.डी.सी. द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित की जाये।